[2009] 4 एस.सी.आर. 510

सेतुरमण

बनाम

राजमणिक्कम

2009 की आपराधिक अपील सं. 486-487

18 मार्च, 2009

[तरुण चटर्जी तथा वी.एस. सिर्पुरकर, न्यायमूर्तिगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 :

धारा 397(2) – आपराधिक पुनरीक्षण – दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने तथा साक्षी को पुनः बुलाए जाने हेतु धारा 91 तथा 311 के अधीन आवेदनों को अस्वीकार करने वाले विचारण न्यायालय के आदेश को चुनौती देना – परिवादी को सूचना दिए बिना उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत – अभिनिर्धारित किया : याचित दस्तावेज, परिवादी के वैयक्तिक दस्तावेज होने के कारण, उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था – इसके अतिरिक्त, धारा 91 तथा 311 के अधीन आवेदनों पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतरिम प्रकृति के होने के कारण, पुनरीक्षण आवेदन पोषणीय नहीं थे – उच्च न्यायालय के आदेश अपास्त किए गए – प्रथा तथा प्रक्रिया।

परिवाद में, जो चेक के अनादरण से उद्भूत हुआ था, परिवादी का परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण किए जाने के पश्चात, अभियुक्त ने धारा 91 तथा धारा 311 दं.प्र.सं. के अधीन आवेदन दाखिल किए, जिनके द्वारा परिवादी की बैंक पास पुस्तिकाएँ, आयकर लेखे तथा एल.डी.एस. जमा रसीदें प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देश तथा उसे प्रतिपरीक्षण हेतु पुनः बुलाए जाने की प्रार्थना की गई। विचारण न्यायालय ने आवेदनों को अस्वीकार कर दिया, किन्तु

अभियुक्त द्वारा दाखिल आपराधिक पुनरीक्षणों में उच्च न्यायालय ने आवेदनों को स्वीकृत कर दिया। व्यथित होकर, परिवादी ने अपीलें दाखिल कीं।

अपीलों को अनुज्ञात करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : 1.1 उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता/परिवादी को सूचना तक जारी नहीं की और अभिनिर्धारित किया कि याचित दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने से उसे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। अपीलकर्ता/परिवादी के कब्जे में स्थित दस्तावेज उसके वैयक्तिक दस्तावेज थे; उनका प्रस्तुत किया जाना विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, और उच्च न्यायालय को उनके प्रस्तुत किए जाने का आदेश देने से पूर्व, कम से कम अपीलकर्ता/परिवादी को सुनवाई प्रदान करनी चाहिए थी। वह यह प्रदर्शित कर सकता था, प्रथमतः, कि ऐसे कोई दस्तावेज विद्यमान नहीं थे अथवा उन दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने का कोई आधार नहीं था, विशेषतः, इस तथ्य के दृष्टिगत कि उन दस्तावेजों के संबंध में उसका प्रतिपरीक्षण तक नहीं किया गया था। [कंडिका 3] [513-बी-सी-डी]

1.2 उच्च न्यायालय यह विचार करने में भी विफल रहा कि धारा 91 दं.प्र.सं. के अधीन दस्तावेजों को तलब किए जाने से इंकार करने वाला तथा धारा 311 दं.प्र.सं. के अधीन साक्षी को पुनः बुलाए जाने के आवेदन को अस्वीकार करने वाला विचारण न्यायालय का आदेश अंतर्वर्ती आदेश थे और इस प्रकार, उन आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण धारा 397(2) दं.प्र.सं. के अधीन स्पष्ट रूप से वर्जित था। विचारण न्यायालय ने अपने संयुक्त आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि चेक पर उत्तरदाता/अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षर किया जाना निर्विवाद रूप से स्वीकार किया गया था और एकमात्र प्रतिरक्षा जो ग्रहण की गई थी, यह थी कि उसके हस्ताक्षरित चेक खो गए थे तथा अपीलकर्ता/परिवादी ने ऐसे ही एक चेक का गलत उपयोग किया था। विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष भी अभिलिखित किया था कि दस्तावेज आवश्यक नहीं थे। यह आदेश किसी भी प्रकार से किसी बात का अंतिम निर्णय नहीं करता था। [कंडिका 4] [513-ई-एफ-जी]

1.3 इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। उच्च न्यायालय का निर्णय विधि में स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है और अपास्त किया जाता है। [कंडिका 4] [514-बी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2009 की आपराधिक अपील सं. 486-487

2004 की आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं. 1823 एवं 1824 में मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 18.11.2004 के निर्णय तथा आदेश से।

एस. रवि शंकर, यमुना नाचियार, जया केडिया, अपीलकर्ता की ओर से।

मनीष कुमार सारण, उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय निम्नांकित द्वारा प्रदत्त किया गया

वी.एस. सिर्पुरकर, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इन अपीलों में, मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा तीन आपराधिक पुनरीक्षणों में पारित संयुक्त आदेश को चुनौती दी गई है। तात्कालिक आदेश द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने 2003 के परिवाद वाद सं. 216 में 2004 की आपराधिक विविध याचिका सं. 3057 में दिनांक 26.7.2004 को तथा 2003 के परिवाद वाद सं. 215 में 2004 की आपराधिक विविध याचिका सं. 4184 तथा 4185 में दिनांक 1.4.2004 को विचारण न्यायालय द्वारा पारित तीन आदेशों को अपास्त कर दिया तथा उन आपराधिक विविध याचिकाओं को अनुज्ञात कर दिया। संक्षेप में कथित, इसमें अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता (जिसे इसमें आगे संक्षेप में 'दं.प्र.सं.' निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 200 के अधीन एक आपराधिक परिवाद दाखिल किया था , जिसमें यह परिवाद किया गया था कि उत्तरदाता द्वारा हस्ताक्षरित तथा ऋण रही 2 लाख रुपये की राशि लौटाने के लिए दिया गया एक चेक अनादृत हो गया था और तत्पश्चात दी गई सूचना के बावजूद, अभियुक्त (जो इसमें उत्तरदाता है) राशि लौटाने में विफल रहा था। इस परिवाद के आधार पर एक विचारण प्रारंभ हुआ और

परिवादी (जो इसमें अपीलकर्ता है) का अभियोजन के प्रथम साक्षी के रूप में 24.8.2004 को परीक्षण किया गया। उसका प्रतिपरीक्षण भी किया गया। 20.9.2004 को, इसमें उत्तरदाता ने धारा 91 दं.प्र.सं. तथा धारा 311 दं.प्र.सं. के अधीन आवेदन दाखिल किए, जिनमें अपीलकर्ता की बैंक पास पुस्तिकाएँ, आयकर लेखे तथा एल.डी.एस. जमा रसीदें प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देश तथा उसके प्रतिपरीक्षण के लिए उसे पुनः बुलाए जाने की प्रार्थना की गई। इसका 24.9.2004 के प्रत्युत्तर द्वारा विरोध किया गया। न्यायालय ने 1.10.2004 को आदेश पारित कर उत्तरदाता/अभियुक्त द्वारा किए गए आवेदनों को अस्वीकार कर दिया। उत्तरदाता/अभियुक्त ने धारा 397 दं.प्र.सं. के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण दाखिल किए और उच्च न्यायालय ने आक्षेपित संयुक्त आदेश द्वारा उन्हें अनुज्ञात कर दिया। यही वह आदेश है, जो इन अपीलों में हमारे समक्ष विचारार्थ उपस्थित हुआ है।

3. अत्यंत विचित्र रूप से, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता/परिवादी को यह विस्तृत आधार ग्रहण करते हुए सूचना तक जारी नहीं की कि अभियुक्त द्वारा याचित दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने से अपीलकर्ता/परिवादी को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। हम इस तर्क को समझने में विफल हैं। आखिरकार, यदि अपीलकर्ता/परिवादी के कब्जे में स्थित दस्तावेज, जो उसके वैयक्तिक दस्तावेज थे, अभियुक्त द्वारा याचित थे और जिनके प्रस्तुत किए जाने को विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, तथा जिनके प्रस्तुत किए जाने का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था, तो कम से कम अपीलकर्ता/परिवादी को सुनवाई प्रदान की जानी चाहिए थी। वह यह प्रदर्शित कर सकता था, प्रथमतः, कि ऐसे कोई दस्तावेज वियमान नहीं थे अथवा उन दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने का कोई आधार नहीं था, विशेषतः, इस तथ्य के दृष्टिगत कि उन दस्तावेजों के संबंध में उसका प्रतिपरीक्षण तक नहीं किया गया था। इस आधार पर, उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

4. द्वितीयतः, यह अनुभूत नहीं किया गया कि दस्तावेजों को तलब किए जाने से इंकार करने वाला तथा धारा 311 दं.प्र.सं. के अधीन आवेदन को अस्वीकार करने वाला विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतर्वर्ती आदेश थे और इस प्रकार, उन आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण धारा 397(2) दं.प्र.सं. के अधीन स्पष्ट रूप से वर्जित था। विचारण न्यायालय ने अपने संयुक्त आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि चेक पर उत्तरदाता/अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षर किया जाना निर्विवाद रूप से स्वीकार किया गया था और एकमात्र प्रतिरक्षा जो ग्रहण की गई थी, यह थी कि उसके हस्ताक्षरित चेक खो गए थे तथा अपीलकर्ता/परिवादी ने ऐसे ही एक चेक का गलत उपयोग किया था। विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष भी अभिलिखित किया था कि दस्तावेज आवश्यक नहीं थे। यह आदेश किसी भी प्रकार से किसी बात का अंतिम निर्णय नहीं करता था। इसलिए, दोनों आदेश अर्थात् एक धारा 91 दं.प्र.सं. के अधीन दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने हेतु आवेदन पर तथा दूसरा धारा 311 दं.प्र.सं. के अधीन साक्षी को पुनः बुलाए जाने हेतु आवेदन पर, अंतर्वर्ती प्रकृति के आदेश थे, जिस स्थिति में धारा 397(2) के अधीन पुनरीक्षण स्पष्ट रूप से पोषणीय नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान न्यायाधीश अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। आक्षेपित निर्णय विधि में स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है तथा अपास्त किए जाने योग्य है। तद्नुसार, वह अपास्त किया जाता है। अपीलें अनुज्ञात की जाती हैं।

आर.पी. अपील अनुज्ञात।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यावहारिक, कार्यालयीय, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।